

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 01.06..2021

थाना गजनेर

दिनांक 31.05.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 116/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त कृष्णपाल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना राजपुर

दिनांक 31.05.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 63/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त अशोक कुमार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 31.05.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 62/21 धारा 332/333/353/504/506/188/269/270 भादवि व 3इडी एक्ट व 51 आ0प्र0 अधिनियम में वांछित अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र सिंह आदि 04 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना रुरा

दिनांक 31.05.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 174/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त वीर सिंह को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

धारा 151 द0प्र0सं0

दिनांक 31.05.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा थाना गजनेर 01, भोगनीपुर 03, रुरा 03, रसूलाबाद 07, शिवली 10, मंगलपुर 06, मूसानगर 04, अकबरपुर 05, डेरापुर 04 अभियुक्तों को धारा 151 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।